SHRI IQBAL SINGH : I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

14·38 *hrs.*

MOTION RE: REPORT OF THE STUDY TEAM ON PROHIBITION—*contd.*

SHRI SURENDRANATH DWIVEDY (Kendrapara) : I do not know what purpose will be served by the debate that we are having today because it was left to a non-official Member, with such limited time, to bring this Report of the Tek Chand Committee before the House for discussion.

This Committee was appointed by the Planning Commission and the responsibility of the Government was either to implement its recommendations, or, if they had any other opinion, to place it before the House for discussion to find out how far it was practicable.

I do not think that there is any difference of opinion that prohibition should be implemented in this country. If anybody wants the opinion of the people again because of the climate that has been created by some, I will challenge him to go to the people, the poorer people about whom we are thinking. I think they will be cent per cent for prohibition. I have no doubt about it.

Prohibition was embodied in the Constitution itself, in the Directive Principles, and so whatever be the Government, it has to carry it out. But I think that this Government has been systematically sabotaging this prohibition policy. It is a national shame that in the Gandhi Centenary Year only two States are dry and in almost all the other States even partial prohibition has been lifted, withdrawn and relaxed. Probably they wanted to pay a tribute to Gandhiji by doing so. The Central Government says that it has nothing to do with it, that it is the business of the States. Agriculture and education also relate to the States, but has the Central Government any responsibility or not ? Has the Centre no responsibility in the matter ?........ (*Interruptions*..). It has become part of our culture, if you do not drink, you are not modern; such an atmosphere has been created.

My point is this. Let us know from the Government whether they really and sincerely feel that prohibition policy should be carried out. Are they feeling that it is not practicable ? Some people say that if there is prohibition, that only leads to illicit distillation which goes on as a cottage industry. Even from that point can one say: Gandhiji wanted cottage industry; if by having prohibition you are having this cottage industry, have it all the same and why are you objecting to it if people manufacture liquor illicitly ?

Let us know specifically if the Government have any difficulties and feel that for practical reasons, economic reasons and financial reasons, they are unable to carry out this policy; let them go before the country and say : we want money from the sale of liquor. The reason behind this policy was not financial or economical but moral; for economic reasons of the poor in the country it was necessary that such a policy should be implemented in this country.

The real purpose of the debate would be served if the Government is frank enough and honest enough to tell the country that they are not in a position to do so. Let us not do this simply because Gandhiji said that it was one of the eleven programmes and during the British days we offered satyagraha and I personally faced police lathi charge in front of the ganja shops and liquor shops. Because there is Gandhiji's name in it, therefore we pay lip service to it and keep it in the Constitution and then we go on sabotaging it ? There has been a demand to amend the Constitution to make it compulsory all over the country; there will then be dry States only and there is no question of wet States and dry States. I shall urge the Government to amend the Constitution and do away with prohibition altogether if it is not possible for this country in the present circumstances to implement prohibition really. I do not know what is the Government's reaction.

This was not within the jurisdiction of the Fifth Finance Commission but I was surprised to find that it had indirectly hinted that prohibition should be carried out if

it served its purpose, in other words asking the State Governments not to carry it out. What is the Government's reaction to it ? Have they commented on it ? They have no business to say like that. Law is not enough in such matters. Moral climate has to be created and people have to be educated. But in every matter law gives guidance and direction. Therefore, law is necessary. It is not that by merely passing the law you can implement anything you like. Nothing will happen unless people's co-operation is also there and people are also educated for that purpose. There are two sides to the question. We may educate people. But people themselves may want it and then we have to implement what the people want. Let the Government tell us whether, except on financial reasons, there is any opposition from the people as such that the Government should not carry out this policy. If there is over-whelming support from the people, what prevents the Government from carrying out this policy ?

The Tek Chand Committee advocated a phased programme taking into considera-tion all aspects of the question. There are about 200 recommendations and they have suggested a phased programme in which they could be implemented. What is the Government's reaction to it ? I hope the debate would have served its purpose if the Government is sincere and honest enough to tell the people; we are unable to carry out this programme because these difficul-ties are there and they should be removed if really we want to darry it out.

श्री मंगरू उइके (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । शराबबन्दी के खिलाफ अगर कोई होंगे तो वे लोग होंगे जो शराब के ठेके ले कर मोटे हो गए हैं । दूसरे वे लोग होंगे जो शराब पिला कर और लोगों को बेहोश करके उनको लूटते हैं । तीसरे स्टेट गवर्नमेंट्स हो सकती हैं जिनकी आमदनी जाती है । चौथे इसे खिलाफ सैंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है क्योंकि शराबबन्दी लागू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स पचास परसेंट या सैंट परसैंट जो नुक्सान उनको होता है, उसकी पूर्ति की मांग करती हैं ।

पहले दो के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैं आदिवासी हूं और आदिवासियों में मेरी जात गोंड है । केरल, मद्रास और पंजाब को छोड़कर बाकी सभी प्रदेशों में गोंड आदि-वासी आपको मिलेंगे । मैं जिस मध्य प्रदेश मे आता हूं वहां गोंडों की आबादी चालीस लाख है । गोंड आदिवासी पैदा होता था तो शराब में, मरता था तो शराब में, शादी होती तो शराब चलती थी, पूजा अगर करनी होती थी तो बिना शराब के पूजा नहीं होती थी, कोई अन्य समारोह भी होता था तो वह बिना शराब के नहीं होता था । यह इनकी परिस्थिति थी । मैंने देखा कि ये लोग शराब के कारण कर्ज में फंसते जा रहे हैं, गरीब आदिवासियों की ज़मीनें शराब में जा रही हैं, एक-एक बोतल और आधी-आधी बोतल में मालगुजारी गांव के गांव जा रहे हैं, बड़े-बड़े जो जमींदार हैं गोंड जात के अन्दर वे आधी उम्र में मर रहे हैं या बीमार हो गए हैं या उनके जो लड़के पैदा हो रहे हैं वे अपंग पैदा हो रहे हैं, और वे कर्जदार हो गए हैं । इस तरह से अपनी जाति की बिगड़ती हुई हालत को जब मैंने देखा तो 1918 में मैंने शराबबन्दी के लिए प्रचार करना शुरू किया । मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने कम से कम पांच लाख से ऊपर लोगों की शराब की आदत छुड़ाई है अपनी समाज के अन्दर से । एक उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि कोई भी अगर जा कर देखना चाहे तो देख सकता है । मध्य प्रदेश में बालाघाट जिले में बैहर एक तहसील है, यह जंगली तहसील है । उस तहसील में मैंने कोई ढाई महीने काम किया है ।1944 से इसका नतीजा यह हुआ कि दो साल 1945 और 1946 में इस तहसील का शराब का एक भी ठेका किसी ने नहीं लिया । इसका परिणाम यह हुआ कि सारे ठेकेदार और कुछ जो साहूकार थे उन्होंने मेरे खिलाफ कम्प्लेंट की और मेरे अपने ही प्रदेश की मेरी अपनी ही कांग्रेस की सरकार ने मुझे 1947 में प्रिवैंटिव डिटैंशन ऐक्ट में

[श्री मंगरू उइके]

जेल में डाल दिया और दो महीने तेरह दिन मुझे जेल में रखा।

उपाध्यक्ष महोदय, 1952 में मैंने कांग्रेस का टिकट नहीं मांगा था। लेकिन मुझे टिकट दिया गया और चुनाव लड़ने के लिए मजबूर किया। जबरदस्ती मुझे खड़ा किया गया। मैं सोशल वर्कर हूं, राजनीतिक वर्कर नहीं हूं। शराबखोरी का विरोध करने की वजह से और सोशल वर्क करने की वजह से ही मैं पार्लिमेंट में आ सका हूं। मैं चार साल कुली रहा हूं। चार साल तक स्टेशन पर मैंने कुली का काम किया है। शराब से कुली वर्ग को क्या नुक्सान होता है, इसका प्रचार मैंने उनके बीच में किया है। उसके बाद चार साल पोर्टर मैं रहा हूं और मैंने देखा कि रेल के कर्मचारी, छोटे-छोटे कर्मचारी किस तरह से शराब में बरबाद होते हैं। उसके बाद मैं अपने समाज को सुधारने के लिए निकला और देखा कि किस-किस तरह से समाज में क्या-क्या इसकी वजह से नुक्सान होता है। मैंने जो बैहर तहसील में काम किया वहां के आदिवासी को आप देखें और बाकी मध्य प्रदेश की आदिवासी जनता को देखें तो आपको जमीन आसमान का अन्तर नजर आएगा। इनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हालत बहुत सुधर गई है। महाराष्ट्र के चांदा जिले में एक कुरमार जाति है जो बहुत शराब पीती थी। यहां तक शराब का रिवाज था कि बच्चा पैदा होता था और बच्चे को मां जब दूध पिलाती थी तो एक बूंद शराब की वह अपने स्तन पर भी लगा लेती थी ताकि शराब उसके पेट में चली जाए। यह 1920 की बात है। आज वहां जा कर आप देखेंगे तो आपको शराब नहीं मिलेगी, वहां चाय के कप मिलेंगे, शराब पीने वाला कोई कुरमार या गडरिया नहीं मिलेगा।

कल श्री मोदी जी ने कहा अगर शराब बन्दी हो जाती है तो काटेज इंडस्ट्री चलने लग जाती है और उसमें गंदे तरीके से शराब निकाली जाती है। मैंने डिस्टिलरी को भी देखा है। चूहे गिरकर महुए में सड़ जाते हैं, वहां शराब निकाली जाती है। महुए को कौवा मैला करते हैं, बीट करते हैं। उसमें से शराब निकालते हैं। अगर हाथ से शराब निकाली जाती है तो शुद्धता से निकलती है। पर काटेज इंडस्ट्री कहां होती है? जहां शराब की दूकानें सौ बंद होंगी वहां आपको बड़ी मुश्किल से चोरी छिपे पांच दस काटेज इंडस्ट्रीज ही मिलेंगी। तो फिर काटेज इंडस्ट्री का शोर क्यों होता है? ठेकेदार शराब के जो शराब बेच कर मोटे हो गए हैं, इन लोगों का जब मोटा होना बन्द हो जाता है ट्राइबल एरिया में मैंने देखा है जो शराब नहीं पीते हैं या जिन्होंने शराब पीना छोड़ दिया है उनके घरों में ले जा कर शराब के निकालने से उपकरण आदि रखवा देते हैं और उधर ऐक्साइज सब इंस्पैक्टर को भिजवा कर उसको एरैस्ट करवा देते हैं इस इल्ज़ाम में कि यह हाथ से शराब निकालता है। इन ठेकेदारों की तिजौरियों को आप देखें तो उनमें सोने, चांदी के लोगों के ज़ेवरात मिलेंगे, ट्राइबल लोगों से जो पैसा उन्होंने कमाया है, वह मिलेगा। ये लोगों को शराब पीने के लिए लाचार कर देते हैं। मैंने देखा है कि घर-घर में शराब ले जा कर बेची जाती है और अगर किसी ने शराब की बोतल नहीं ली तो पुलिस वालों को ले जा कर उसको गिरफ्तार करवाया जाता है, उसको मरवाते हैं, उसको पिटवाते हैं।

मध्य प्रदेश में बस्तर सब से पिछड़ा हुआ जिला है। पहले आदिवासी लोग कहते थे कि पूजा में शराब की जरूरत होती है। लेकिन प्रचार के कारण अब वह सब कुछ खत्म हो गया है। अब वे लोग पूजा, जन्म-मरण और विवाह आदि में शराब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बस्तर के आदिवासी कहते हैं कि जिस दिन हम बाजार जाते हैं, उस दिन हम थोड़ी बहुत शराब पी लेते हैं, लेकिन ठेकेदार के नौकर रोज हमारे घरों में शराब रख देते हैं अगर हम उसको नहीं

भी पीते हैं, तो भी वे हम से पैसे मांगते हैं और पैसा न मिलने पर पुलिस वालों के द्वारा तंग करते हैं और पैसे वसूल करते हैं । यह कैसा ट्राइबल वैलफ़ेयर और सोशल वैलफ़ेयर है कि 73 लाख रुपए का शराब का ठेका दे कर बस्तर के अधनंगे आदिवासियों से तीन करोड़ रुपया वसूल किया जाता है ? एक तरफ़ तो सरकार उन लोगों के उत्थान और विकास के लिए करोड़ों रुपए ख़र्च करती है और दूसरी तरफ़ उनको शराब पिलाती है ।

शराब के कारण झबुआ जिले के आदिवासियों की हालत इतनी गिर गई है कि अब उनके लिए मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं रही है । थोड़ी सी शराब पीकर जब किसी आदिवासी को लहर आ जाती है, तो वह किसी भी व्यक्ति को तीर मार कर मार देता है । वहां रोज़ एक खून होता है । एक सब-डिविज़न में दो एडीशनल सैशन जज हैं, जिनके पास रोज़ मर्डर केस आते हैं और भील समाज के वे लोग मर्डर के आरोप को कुबूल करते हैं ।

इस बारे में काटेज इंडस्ट्री खुलने आदि की बातें सिर्फ़ बहाने हैं । सरकार को चाहिए कि वह कायदा बना कर शराब को बन्द करे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खून करने पर फांसी की सज़ा होती है, इस लिए खून करना बन्द तो नहीं हो गया है और इसी तरह चोरी के लिए सज़ा होने पर भी चोरी बन्द तो नहीं हो गई है । उसी प्रकार शराब-बन्दी होने पर भी वह थोड़ी बहुत तो चलती ही रहेगी । लेकिन अगर शराब बन्दी के कारण 100 में से 5 आदमी शराब पियें, तो बाकी 95 आदमियों को अवश्य फ़ायदा होगा । अगर सरकार को समाजवाद लाना है, तो उसको सब से पहले शराब को बन्द करना चाहिए ।

आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो सोशल वर्कर शराब को बन्द करने के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं, अगर उनको सरकार की तरफ़ से कुछ अच्छी सहायता मिले, तो उनके प्रचार-कार्य और साथ ही सरकार के कायदे के कारण इस धार्मिक देश में शराब अवश्य बन्द हो जाएगी । आख़िर हम लोगों में बिना सरकारी सहायता के लाखों लोगों की शराब छुड़ाई है । शराब से समाज की जितनी हानि होती है, सोशल वैलफ़ेयर के किसी भी कार्यक्रम से उसका प्रतिकार नहीं हो सकता है । इस लिए सरकार को शराब-बन्दी की तरफ़ तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए ।

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : उपाध्यक्ष महोदय, आज के युग की पुकार है कि शोषण समाप्त होना चाहिए और सबसे पहले ग़रीब आदमियों की रोटी और कपड़े की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए । इस संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि आज यदि कोई लोग ग़रीबों की समृद्धि की चर्चा करते हैं और साथ ही वे शराब का भी समर्थन करते हैं, तो वे इन दो बातों में कैसे ताल-मेल बिठाते हैं, यह समझ में नहीं आता है । हम मांग करते हैं कि ग़रीबों की तन्ख्वाह और आमदनी बढ़नी चाहिए, लेकिन जब कोई ग़रीब तन्ख्वाह लेकर घर आता है, तो रास्ते में उसको नशा पिला कर, उसको बेहोश करके, उसकी जेब काटी जाती है । अगर उसके पास वह रुपया रहे, तो वह उसको अपने और अपने बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य, कपड़े और मकान पर खर्च करेगा । लेकिन ऐसा न करके जब वह उस पैसे को शराब पर खर्च करता है, तो उसका परिवार भी बर्बाद होता है, उसका स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, अपराधी वृत्तियां बढ़ती हैं और समाज में उच्छृंखलता, अनुशासनहीनता और मर्यादाहीनता बढ़ती है । इसके सिवाय शराब पीने का और कोई परिणाम नहीं होने वाला है । अगर ग़रीबों की शराब की वृत्ति को कम नहीं किया गया, तो हमारे

[श्री रघुबीर सिंह शास्त्री]

समाजवाद, ग़रीबों की समृद्धि और शोषण का अन्त करने के नारे थोथे ही रहेंगे ।

अगर किसी परिवार का प्रमुख व्यक्ति उस परिवार के सदस्यों का शुभचिन्तक और हितैशी है, तो वह कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनमें से कोई शराब पिए, इस बुरी लत में फंसे, पैसा बर्बाद करे । इसलिए राष्ट्र रूपी हमारा यह जो परिवार है, अगर उसका सरकार रूपी प्रमुख यह देखता रहे कि उस परिवार के सदस्य इस बुरी लत में फंस कर बर्बाद हो रहे हैं, उनका स्वास्थ्य और उनकी गृहस्थी बर्बाद हो रही है, तो फिर यह सन्देह होना स्वाभाविक है कि वह सरकार राष्ट्र का प्रमुख कहलाने की अधिकारिणी है भी या नहीं ।

आज शराब कहां-कहां पहुंच गई है ? आज शराब का प्रवेश न्याय के क्षेत्र में, परमिट तथा लाइसेंस के क्षेत्र में और सचिवालय तथा कार्यालयों के क्षेत्र में भी हो गया है । आज यह एक आम धारणा हो गई है कि अगर कोई इन क्षेत्रों में किसी प्रकार का लाभ उठाना चाहता है, तो वह किसी होटल में बैठकर सम्बद्ध लोगों को शराब पिला दे; वह अपने उद्देश्य में सफल हो जाएगा । आज शराब निर्वाचनों में भी पहुंच गई है । जो लोग निर्वाचित हो कर आते हैं, उनमें से ज्यादातर इस बात के साक्षी होंगे । मैंने कई जगह इलैक्शन्ज़ में देखा कि शराबियों की भरी जीप जा रही है । (व्यवधान) ··· आज यह स्थिति है कि शराब न केवल न्याय, व्यापार, परमिट-लाइसेंस और नोकरियों को प्रभावित करती है, बल्कि देश की राजनीति और सदनों के निर्माण को भी प्रभावित करती है । इन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए शराब की सहायता लेना आवश्यक हो गया है । देश की इससे बुरी परिस्थिति क्या हो सकती है ?

जिस प्रदेश से मैं आता हूं, वहां के लोग तो शराब नहीं पीते हैं । जब से हमारे इलाके में एक दो दुकानें खुल गई हैं, तब से लोग शराब पीना सीख गए हैं । इसी लिए मैंने मुख्य मंत्री को ये दुकानें उठवा देने के लिए कहा है । वहां पर एक प्रतिशत लोग भी शराब नहीं पीते हैं । अगर इन दुकानों को उठा लिया जाए, तो वहां शराब बिल्कुल निर्मूल हो जाएगी । उन दुकानों के रहने मात्र से ही शराब का प्रचार होता है । ····· (व्यवधान) ···

जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, सरकार इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां अनुभव करती है । परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि जिस स्थान की जनता बहुमत से यह इच्छा प्रकट करे कि वहां पर शराब की दुकान न खोली जाए, वहां पर कोई दुकान नहीं खोली जानी चाहिए । सरकार को इसमें क्या कठिनाई है ? यह जनतंत्र का युग है । इस लिए अगर कसी जगह की जनता नहीं चाहती है, तो वहां पर शराब की दुकान न खोली जाए। इसी प्रकार अगर कोई गांव पंचायत या ज़िला परिषद् यह विचार प्रकट करे कि उसके क्षेत्र में शराब की दुकान न खोली जाए, तो सरकार को उस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

निर्वाचन में जहां और कई बातों को आफ़ेंस ठहराया गया है, वहां शराब के इस्तेमाल को भी आफ़ेंस ठहराया जाए । शिक्षा संस्थाओं और फ़ैक्टरियों के समीप कहीं भी शराब की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए । सरकारी कर्मचारियों पर यह पाबन्दी लगा दी जाए कि यदि उनको नौकरी करनी है तो उनको शराब छोड़नी होगी । वे नौकरी भी करें शराब भी पिएं, यह नहीं चलेगा । (व्यवधान) ··· मिनिस्टर संविधान के पालन की शपथ लेते हैं । इस लिए मेरी प्रार्थना है कि वे अपने आचरण से साबित करें कि वे संविधान का श्रद्धापूर्वक पालन करते हैं ।

महाभारत की एक बात बहुत प्रसिद्ध है कि जब योगीराज कृष्ण समझौते के लिए

दुर्योधन के पास जा रहे थे, तो द्रौपदी ने उन को कहा कि समझौते की बार्ता करते समय मेरे केशों का ख़याल रखना । इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार चलाने वाले लोगों, 1947 से पहले ब्रिटिश समय में बीस-तीस वर्ष तक इस देश की माताओं, बहनों और युवकों ने आपके इशारे और आह्वान पर, आपके नेतृत्व में शराब की दुकानों के सामने डंडे खाए, वे गर्म सड़कों पर पीटे गए, उनका अपमान हुआ, इस लिए जब आप इस सम्बन्ध में फ़ैसला करें, तो उन माताओं और बहनों के साथ हुए अपमान, यातनाओं और व्यवहार का ध्यान रख कर ही कोई फ़ैसला करें ।

श्री कांबले (लातूर) : उपाध्यक्ष महोदय, नशाबन्दी अध्ययन दल की रिपोर्ट के सिल-सिले में सदन में बहुत सी बातें कही गई हैं और देश के विभिन्न समाज-सुधारकों के विचारों का विश्लेषण किया गया है ।

15 hrs.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Considering the great interest that Members take in this question I feel that two hours allotted to this discussion is unrealistic. Therefore the discussion will continue but when it should be will be decided by the Speaker.

DR. SUSHILA NAYAR (Jhansi) : Please convey to the Speaker that we want to continue with it on Monday.

MR. DEPUTY-SPEAKER : It will be done.

15·01 hrs.

STATEMENT RE: INCOME-TAX ON MEMBERS' SALARIES

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): The question of scope of allowance of expenses against salary of M. Ps. was referred to the Hon'ble Speaker, Lok Sabha for the comments of the subordinate legislation committee. The Committee have advised that a minimum allowance limit under Section 57(*iii*) of the Income Tax Act 1961, may be prescribed at Rs. 100 per month Rs. 1200 for the year. We are accepting the committee's recommendation and suitable instructions to this effect are being issued.

The effect of this would be that hon'ble Members of Parliament who do not have any other income than the salary income from Parliament do not have to file the return. As far as such hon'ble Members of Parliament who have more income and want to get more reduction are concerned, they will have to file a return and ask for more reduction.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : This matter was raised by Mr. Sanghi and after that the hon'ble Minister took an initiative and it is good he has made an allowance. I want to know from the hon'ble Minister, supposing some of us have not filed any return thinking that this was illegal what will happen to those now ? Should we file a return or not, or the arrears would be deducted from our salary ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : The Minister would write to him and clarify the position. We now take up the Private Members' Business. Bills to be introduced. Shri George Fernandes.

15.05 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Insertion of new articles* 24A *and* 24*B*)

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई-दक्षिण) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए ।

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted

श्री जार्ज फरनेन्डीज : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

---

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 8-5-70.